छत्तीसगढ़ ने दर्ज की सर्वाधिक GST वृद्धि दर

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह वृद्धि में **छत्तीसगढ़** देश में **शीर्ष पर रहा,** जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में **18% की वृद्धि दर्ज** की गई।

मुख्य बिंदु

- **छत्तीसगढ़ की GST वृद्धि के पीछे के कारक:**
  - **GST संग्रह में वृद्धि:**
    - वित्त वर्ष 2024-25 के लिये छत्तीसगढ़ का कुल GST और VAT (मूल्य वर्द्धित कर) राजस्व 23,448 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो राज्य के स्वयं के कर संग्रह का लगभग 38% है।
      - **VAT:** बेची गई वस्तुओं पर कर, आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह **उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें GST व्यवस्था से बाहर रखा गया है** जैसे मादक पेय, पेट्रोलियम उत्पाद आदि।
    - कर राजस्व में यह तीव्र वृद्धि इसके नीतिगत उपायों और प्रवर्तन रणनीतियों **की प्रभावशीलता को उजागर करती है।**
- **सुव्यवस्थित GST पंजीकरण प्रक्रिया:**
  - इस सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख सुधारों में से एक है GST पंजीकरण समय को **13 दिनों से घटाकर सिर्फ 2 दिन करना**, जिससे छत्तीसगढ़ में व्यापार करने में आसानी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है
- **प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और प्रवर्तन:**
  - राज्य ने चोरी किये गये करों की निगरानी और वसूली के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।
  - **लक्षित अभियान और उन्नत प्रवर्तन कार्रवाइयाँ, जैसे कि सभी 33 ज़िलों में GST कार्यालयों** की स्थापना, ने पारदर्शिता और बेहतर करदाता सेवाएँ सुनिश्चित की हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- **परिचय:**
  - GST एक मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में **1 जुलाई, 2017** को **101 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से **'एक राष्ट्र एक कर'** के नारे के साथ पेश किया गया था।
- **GST परिषद:**
  - **परिचय:** GST परिषद, **अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016)** के तहत एक **संवैधानिक निकाय**, GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है।
    - GST एक **मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम)** और **अप्रत्यक्ष कर प्रणाली** है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  - **सदस्य:** परिषद में **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)**, केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
  - **निर्णयों की प्रकृति: मोहित मिनरल्स मामले, 2022** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि GST परिषद की अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्यों के पास GST पर **एक साथ विधायी शक्तियाँ हैं।**

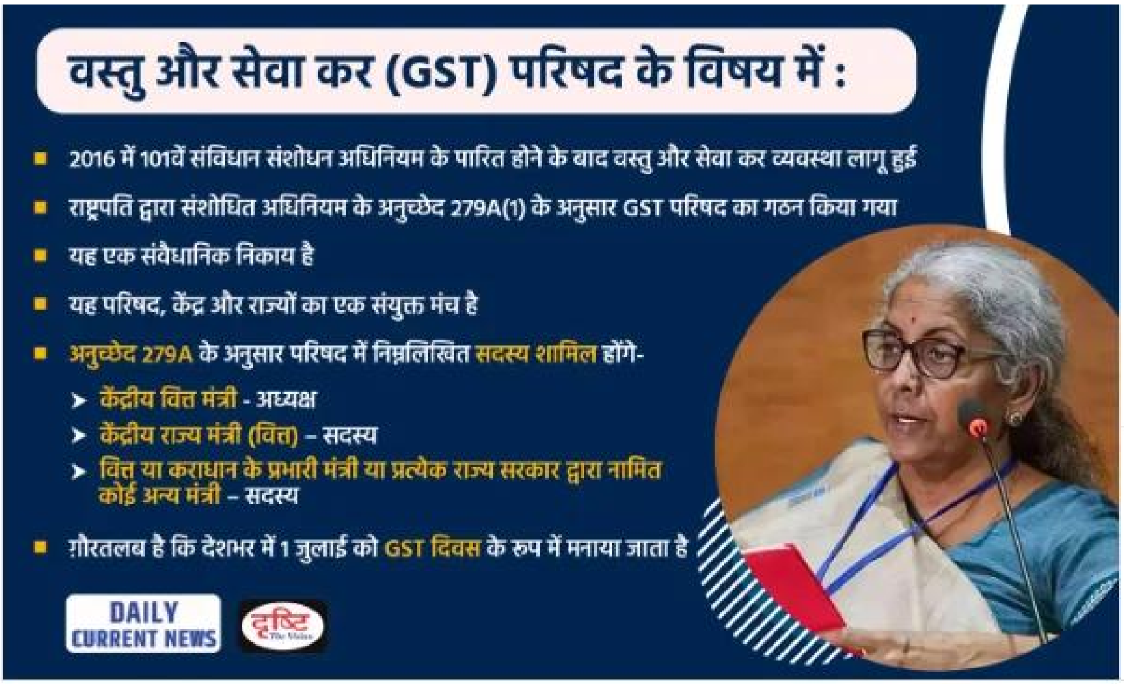

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-registered-the-highest-gst-growth-rate